विविध बैंक प्रकरण सं. 95/2020 (RCMS 2020/00250) पंजाब नेशनल बैंक, शाखा नई धान मंडी, रायसिंहनगर जरिये श्री निशांत खुराना प्राधिकृत अधिकारी /मुख्य प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, सस्त्रा कार्यालय सुखाड़िया सर्किल, श्रीगंगानगर बनाम 1. मैसर्स भुल्लन ट्रेडर्स–प्रो. श्रीमती कौशल्या देवी पत्नी श्री बुधराम निवासी 61–बी, वार्ड नं 12, नई धान मंडी, घडसाना श्रीगंगानगर 2. मैसर्स बुधराम ब्रिजलाल –प्रो. बुधराम पुत्र चिरंजीलाल 3. बुधराम पुत्र चिरंजीलाल 4. मैसर्स कौशल्या ट्रेडर्स –प्रो. श्रीमती सीमा रानी पत्नी मुकेश कुमार 5. श्रीमती सीमा रानी पत्नी श्री मुकेश कुमार निवासी 61–बी, वार्ड नं. 12, नई धान मंडी, घड़साना जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

26.07.2021

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री भारत भूषण महेन्द्रा उपस्थित हुए। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता का कथन था कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 05.11.2020 को प्रस्तुत किया था कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण **मैसर्स भुल्लन ट्रेडर्स, मैसर्स बुधराम ब्रिजलाल, बुधराम, मैसर्स कौशल्या ट्रेडर्स, सीमा रानी** को ऋण सुविधा के रूप में 90.00/– लाख रूपये (अखरे रूपये नब्बे लाख मात्र) का ऋण दिनांक 19.02.2016 स्वीकृत किया था, ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी **बुधराम की व्यावसायिक सम्पत्ति दुकान नं. 138(क्षेत्रफल 933.12 वर्गफुट), नई धान मंडी, रायसिंहनगर एवं दुकान नं. 25(क्षेत्रफल 800 वर्गफुट), शॉपिंग सैंटर, कुपली रोड घड़साना, मै. कौशल ट्रेडर्स की व्यावसायिक संपति दुकान नं. 137(933.12 वर्गफुट), नई धान मंडी, रायसिंहनगर एवं सीमा रानी की व्यावसायिक संपति प्लॉट नं. डी–06 (क्षेत्रफल 1402.50 वर्गफुट), चक 25 पीएस "बी", मुरब्बा नं. 10, किल्ला नं. 13, गणपति विहार एक्सटेंशन नगरपरिषद एरिया, रायसिंहनगर** प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी है। उनका अ[illegible] कथन है कि अप्रार्थी [illegible] ऋण

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.09.30 12:37:19 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट

की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 29.01.2020 को अनर्जक परिसम्पत्ति(एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया है। अप्रार्थी ऋणी के नाम दिनांक 29.01.2020 को 92,94,300/—रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2)के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 17.02.2020 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने का जारी किये गये, परन्तु धारा 13(2) के 60 दिवस के उक्त नोटिस की तामील न होने के कारण दो समाचार पत्रों सीमा संदेश एवं इण्डियन एक्सप्रैस में दिनांक 08.03.2020 को प्रकाशित करवाये गये है। **इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नही करवाई गई है।** इसलिए अप्रार्थीगण ऋणियों **द्वारा सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई उक्त संपत्तियों** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थीगण मैसर्स भुल्लन ट्रेडर्स, मैसर्स बुधराम ब्रिजलाल, बुधराम, मैसर्स कौशल्या ट्रेडर्स, सीमा रानी** को 90.00/— लाख रूपये (अखरे रूपये नब्बे लाख मात्र) का ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 19.02.2016 **को प्रदान की थी।** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी **बुधराम की व्यावसायिक सम्पत्ति दुकान नं. 138(क्षेत्रफल 933.12 वर्गफुट), नई धान मंडी रायसिंहनगर एवं दुकान नं. 25(क्षेत्रफल 800 वर्गफुट), शॉपिंग सेंटर, कुम्भा रोड घड़साना, मै. कौशल ट्रेडर्स की व्यावसायिक संपति दुकान नं. 137(933.12 वर्गफुट), नई धान मंडी, रायसिंहनगर एवं सीमा रानी की व्यावसायिक संपति प्लॉट नं. डी—06 (क्षेत्रफल 1402.50 वर्गफुट), चक 25 पीएस"बी", मुरब्बा नं. 10, किल्ला नं. 13, गणपति**

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.09.30 12:37:19 IST
Reason: SelfAttested

विहार एक्सटैंन्शन, नगरपरिषद एरिया, रायसिंहनगर प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक **29.01.2020 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.)** हो गया। बैंक द्वारा **अप्रार्थी ऋणी को धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 29.01.2020 को पोस्ट ऑफिस के रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये** है, जिसकी पावती रसीद पत्रावली में उपलब्ध नहीं है इसलिए प्रार्थी बैंक ने धारा 13(2) के नोटिस की सम्बन्धित सम्पत्तियों पर चस्पा किये गये और धारा 13(2) के नोटिस दो समाचार पत्र सीमा संदेश एवं इण्डियन एक्सप्रेस में दिनांक 08.03.2020 को प्रकाशित करवाये गये है जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस तामील होना मानना उचित है और परिणामस्वरूप दोनों समाचार पत्रों की प्रतियां की प्रतिया पेश की है, जो पत्रावली में उपलब्ध है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त भूमि/वस्तु जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गई **बुधराम की व्यावसायिक सम्पत्ति दुकान नं. 138(क्षेत्रफल 933.12 वर्गफुट), नई धान मंडी, रायसिंहनगर एवं दुकान नं. 25(क्षेत्रफल 800 वर्गफुट), शॉपिंग सैंटर, कुपली रोड घड़साना, मै. कौशल ट्रेडर्स की व्यावसायिक संपति दु[illegible]37(933.12 वर्गफुट), नई धान मंडी, रायसिंहनगर एवं [illegible] संपति प्लॉट नं. डी–06 (क्षेत्रफल 1402.50 वर्गफुट), चक 25 पीएस "बी", मुरब्बा नं. 10, किल्ला नं. 13, गणपति विहार एक्सटैंन्शन, नगरपरिषद एरिया, रायसिंहनगर,** जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबंध है जिसका भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.09.30 12:37:19 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

चाहा जा रहा है वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक धारा 13(2) के जारी नोटिस 17.02.2020 की तामील का प्रश्न है। **वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के प्रावधानों के अनुसार राशि वसूली हेतु धारा 13(2) का नोटिस नियमानुसार जारी किया है।** प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 17.02.2020 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के जारी नोटिस रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 24.02.2020 को जारी किये गये है, परिणास्वरूप पोस्ट ऑफिस की रसीद रिकॉर्ड पर उपलब्ध है। इसके साथ साथ धारा 13(2) के नोटिस की चस्पांदगी रिपोर्ट भी पेश की है और धारा 13(2) के नोटिस दो समचार पत्रों सीमा संदेश एवं इण्डियन एक्सप्रैस में दिनांक 08.03. 2020 को प्रकाशन करवाया गया , जिसकी प्रति पत्रावली में उपलब्ध है जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को नोटिस की तामील होना मानना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने बैंक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी **बुधराम की व्यावसायिक सम्पत्ति दुकान नं. 138(क्षेत्रफल 933.12 वर्गफुट),** नई धान मंडी, रायसिंहनगर एवं **दुकान नं. 25 (क्षेत्रफल 800 वर्गफुट),** शॉपिंग सैंटर, कुपली रोड घड़साना, **मै. कौशल ट्रेडर्स की व्यावसायिक संपति दुकान** [illegible] 933.12 वर्गफुट), नई धान मंडी, रायसिंहनगर एवं **सीमा** [illegible] **प्लॉट नं. डी**–06 (क्षेत्रफल 1402.50 वर्गफुट), चक 25 [illegible] नं. 10, किल्ला नं. 13, गणपति विहार एक्सटैंन्शन, रायसिंहनगर के द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई सभी संपतियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.09.30 12:37:19 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 05.11.2020 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **स्वीकार किया जाता है** और अप्रार्थीगण ऋणियों द्वारा प्रार्थी बैंक से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में रखी गई उक्त संपतिया का **भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता सम्बन्धित पुलिस थाना के माध्यम से उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 26.07.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जाकिर हुसैन)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.09.30 12:37:19 IST
Reason: SelfAttested